न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 48/2023
GCMS NO. : 2023/00121

–:: प्रार्थीगण ::–

01. रूपाराम पुत्री कालूराम
02. पुखाराम पुत्र रामाराम
03. भंवरलाल पुत्र रामाराम
04. हड़मानलाल पुत्र मांगीलाल
05. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल
06. देवाराम पुत्र मल्लाराम
07. हापुराम पुत्र मल्लाराम
08. लिखमाराम पुत्र मल्लाराम
09. रतनलाल पुत्र मल्लाराम

जातियान– सीरवी निवासीगण– हनुमान बावड़ी चौराया के पास, बेरा पाणा वाला (बेरा कणूकी) ग्राम देवरिया तहसील जैतारण जिला–ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. कमली सीरवी पुत्री पूनाराम
2. केलकी पत्नी पूनाराम
3. गीता पुत्री पूनाराम
4. पी.धर्माराम पुत्र पूनाराम
5. मंगलाराम पुत्र पूनाराम
6. मैनादेवी पुत्री पूनाराम
7. सोहनीदेवी पुत्री पूनाराम
8. चम्पादेवी पुत्री मांगूराम उर्फ मांगीलाल
9. भबूतराम पुत्र मांगूराम उर्फ मांगीलाल
10. संकड़ीदेवी पुत्री मागूराम उर्फ मांगीलाल

जातियान– सीरवी निवासीगण– हनुमान बावड़ी चौराया के पास, बेरा पाणा वाला (बेरा कणूकी) ग्राम देवरिया तहसील जैतारण जिला–ब्यावर।

11. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
12. पटवारी, पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 22/06/2023

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनाँकः 31/01/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

किया है कि सरहद मौजा ग्राम रामदेव की ढाणी, पटवार हल्का देवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 की पैतृक पुश्तैनी हक अधिकार की खातेदारी एव कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। पक्षकारान आपस में सगे रिश्तेदार है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सैटलमेन्ट से पूर्व व वक्त सैटलमेन्ट से लेकर आज तक लगातार बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज व वर्तमान में प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 अपने-अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व व वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज तक प्रार्थीगण संख्या 1 रूपाराम पुत्र कालूराम जी 1/8 हिस्से पर काबिज है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 से लगायत 5 व इनके पूर्वज 1/4 हिस्से पर काबिज है व प्रार्थीगण संख्या 6 से लगायत 9 वादग्रस्त आराजी के 1/8 हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण सख्या 1 से लगायत 7 वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण संख्या 8 से लगायत 10 वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज है तथा पूर्व में प्रार्थीगण संख्या 2 से लगायत 5 के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर इनके पूर्वज रामाराम पुत्र रुघाराम जी काबिज थे तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण संख्या 6 से लगायत 9 के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर इनके पूर्वज मल्लाराम पुत्र शेराराम जी काबिज थे और इसी अनुरूप अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 7 के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर उनके पूर्वज पूनाराम पुत्र चेलाराम जी काबिज थे व अप्रार्थीगण संख्या 8 से लगायत 10 के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर इनके पूर्वज मांगीलाल उर्फ मागूराम पुत्र शुराराम जी काबिज थे। इस प्रकार पक्षकारान् वादग्रस्त आराजी के अपने-अपने हिस्से पर आज तक काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर माठें कायम कर तारबन्दी कर रखी है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व इनके पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज नहीं है परन्तु सेटलमेन्ट से पूर्व व वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज तक प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज उपरोक्त अनुसार अपने-अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसका इन्द्राज वादग्रस्त आराजी के खसरा गिरदावरी में भी उल्लेख है जो बतौर सबूत खसरा गिरदावरी संवत् 2042 से लगायत 2049 प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 का कब्जा काश्त व हक अधिकार है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वजों का नाम जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज नहीं कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 के पूर्वज चेलाराम व शुराराम पिसरान आईदान जी का नाम ही इन्द्राज किया गया जो विधिविरुद्ध है व वादग्रस्त

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

आराजी के मौके एवं कब्जा काश्त की जाँच किये बगैर इन्द्राज किया गया क्योंकि मौके पर उक्त चेलाराम व शुराराम का वादग्रस्त आराजी पर 1/4, 1/4 हक हिस्से पर ही कब्जा काश्त था जो आज भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 का भी वादग्रस्त आराजी के 1/4, 1/4 हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। शेष वादग्रस्त आराजी के हक-हिस्से पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के माफिक मौके पर प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वजों का अपने अपने हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेन्ट से पूर्व व वक्त सैटलमेन्ट से लेकर लगातार आज तक प्रार्थीगण एव इनके पूर्वज उपरोक्त हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करने से एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त अनुसार भी प्रार्थीगण अपने हक हिस्से के वादग्रस्त भूमि के मालिक व भौक्ता है एवं इसी माफिक प्रार्थीगण अपने हक अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का खिलाफ अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण एव उनके पूर्वज तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 व इनके पूर्वजो मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण एव इनके पूर्वजो का नाम खातेदार काश्तकार के इन्द्राज नहीं होने के कारण एवं केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 के पूर्वज चेलाराम व शुराराम जी का नाम इन्द्राज होने के कारण शुराराम के पुत्र मागीलाल उर्फ मांगूराम जो कि अप्रार्थीगण संख्या 8 से लगायत 10 के पिता है व चेलाराम जी के पुत्र पूनाराम जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 7 के पिता है जिन्होने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् एक आपसी लिखित बंटवाड़ा दिनाँक 04/08/1981 को 5 रुपये के स्टाम्प पर गवाहान केसाराम जी पुत्र बुधाराम जी जाति सीरवी व नारायणसिह राठौड की साखे डलवाकर इस आशय का प्रार्थीगण सख्या 1 व प्रार्थीगण सख्या 2 से लगायत 5 के पूर्वज रामाराम पुत्र रुघाराम तथा प्रार्थीगण संख्या 6 से 9 के पूर्वज मल्लाराम के पक्ष में तहरीर व तकमील किया कि ग्राम देवरिया की सरहद मे हमारे नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है जिसका पट्टा सेटलमेन्ट के समय हमारे पिता शुराराम व चेलाराम के नाम गलती से आ गया मगर काश्त आरम्भ से ही रामाराम पुत्र रुघाराम 1/4, रूपाराम पुत्र कालूराम 1/8, मल्लाराम पुत्र शेराराम 1/8 तथा इसी तरह शुराराम का 1/4 हिस्सा, चौलाराम का 1/4 हिस्सा ही है और मौके पर इसी प्रकार काश्त करते है व करते आये है। अप्रार्थीगण सख्या 1 से लगायत 10 के पूर्वज पूनाराम व मागीलाल उर्फ मांगूराम द्वारा उक्त आपसी लिखित बटवाडा की लिखापढी दिनाक 04/08/1981 को मुंशी गोपीलाल पुत्र श्री हमीरराम जी कौम नाई गांव देवरिया के मार्फत लिखापढी करवाकर उक्त गवाहान की साखे डलवाकर अपने अपने हस्ताक्षर कर प्रार्थीगण सख्या

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
बैराठ

1 व प्रार्थीगण संख्या 2 से लगायत 9 के पूर्वजो के पक्ष में तहरीर व तकमील कर निष्पादित की गई है जिससे भी साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व इनके पूर्वज उपरोक्त अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त लिखित स्वीकृति दिनाक 04/08/1981 के आधार से भी यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 व उनके पूर्वज पूनाराम व मांगीलाल उर्फ मागूराम का 1/4 1/4 हक हिस्सा व अधिकार ही है तथा शेष भूमि में प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वजो का हक अधिकार व हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। दिनाँक 14/06/2023 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 मौके पर आकर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने की धमकीयां दी एवं राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र अपना नाम दर्ज होने का कथन किया तब प्रार्थीगण अपना नाम को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में, इन्द्राज नहीं होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलपियां प्राप्त की और अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 10 को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाकर बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने हेतू कहा तो अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हुए एवं प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने एव वादग्रस्त संयुक्त शामलाती कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि करने तथा मौके पर कृषि भूमि में अकृषि कार्य कर कच्चा पक्का निर्माण कर खूर्द-बुर्द करने की ऐलानिया धमकीयां दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण व इनके पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेन्ट से पूर्व व वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज तक लगातार शाति पूर्वक अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा की गई लिखापढी आपसी बंटवाड़ा दिनाँक 04/08/1981 के आधार से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हक-हिस्सा व अधिकार कानूनन निहित है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष है क्योंकि अकेले अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी मे हक हिस्सा व अधिकार निहित नहीं है बल्कि प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त आराजी मे हक हिस्सा व अधिकार निहित है तथा अप्रार्थीगण अपने-अपने पिता द्वारा की गई लिखापढी लिखित स्वीकारोक्ति से कानूनन पाबन्द है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तोवजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 488 रकबा 1.2950 हैक्टयर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करें या करावे तो उसमे अप्रार्थीगण उनके नौकर-चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नहीं करें एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमि में अतिक्रमण कर कब्जा कर प्रार्थीगण को उनके हक-हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे व न ही कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य करे, न ही कच्चा-पक्का निर्माण करें तथा न ही संयुक्त शामलाती कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण रहन, वसीयत आदि करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के अप्रार्थीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हरने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः-** वाद-पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रामदेव की ढाणी, पटवार हल्का देवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 488 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल को पैतृक पुश्तैनी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2042-2045 एवं संवत् 2046-2049 में खसरा नम्बर 488 के लिए पुनाराम पुत्र चेलाराम 1/4 भबूतराम पुत्र मांगू व माडी पत्नी मांगू 1/4 रामाराम पुत्र रूघाराम 1/4 रूपाराम पुत्र कालुराम 1/4 मलाराम पुत्र शेराराम 1/4 सीरवी सा0 देह खातेदार का इन्द्राज अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी संख्या 2 से 5 के पूर्वज रामाराम पुत्र रूघाराम एवं प्रार्थी संख्या 6 से 9 के पूर्वज मल्लाराम पुत्र शेराराम थे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पूर्वज पूनाराम पुत्र चेलाराम एवं अप्रार्थी संख्या 8 से 10 के पूर्वज मांगीलाल उर्फ मांगूराम पुत्र शेराराम थे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपसी लिखत की प्रति जिसमें अप्रार्थीगण के पूर्वज मांगीलाल एवं पूनाराम ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 488 में

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

रामाराम एवं रूपाराम का भी काश्त रहा है परन्तु इनका नाम सेटलमेन्ट के समय अंकित नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी एवं सेटलमेन्ट के समय से कब्जा काश्त की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम सेटलमेन्ट के समय जमाबन्दी में अंकित नहीं हुआ था। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि खसरा गिरदावर अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों से कब्जा काश्त साबित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उन्हे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायल संख्या 1 से 10** को प्रार्थीगण के हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या 1 से 10** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा ग्राम रामदेव की ढाणी, पटवार हल्का देवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
बैतारण

आगेवा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 488 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीगण के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
फरीद टेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फरीद टेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)